क्रम संख्या 328

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1976

अग्रहायण 19, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 5227/सत्रह-वि० 1-63-76

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 53, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 53, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना

1--(1) यह अधिनियम प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा जो 14 जुलाई, 1976 के ठीक पूर्व विचाराधीन हों।

अधिनियम संख्या 5, 1920 की धारा 31 का संशोधन

2--प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में,--

(क) उपधारा (2) में,--

(i) शब्द "प्रतिसंहृत या नवीकृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत, उपान्तरित या नवीकृत" रख दिए जायेंगे ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक बढ़ाया जायगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह कि कोई संरक्षण आदेश धारा 44 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऋण पर लागू न होगा।"

(ख) उपधारा (3) में, परन्तुक में, शब्द "प्रतिसंहृत" के स्थान पर शब्द "प्रतिसंहृत या उपान्तरित" रख दिये जायेंगे।

धारा 44 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:--

"(घ) भरण-पोषण के लिए किसी करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पारित भरण-पोषण के लिए किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई दायित्व ; या

(ङ) कोई ऋण या दायित्व जिसके सम्बन्ध में देय धनराशि उत्तर प्रदेश लोक धन के (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूली योग्य है।"

निरसन और व्यावृत्ति

4--(1) प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही, इस प्रकार समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 5227 (2) /XVII-V-1--63-76

Dated Lucknow, December 10, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Prantiya Diwala (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 53 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 4, 1976.

THE PROVINCIAL INSOLVENCY (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 53 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Provincial Insolvency Act, 1920, in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and application.

1. (1) This Act may be called the Provincial Insolvency (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall apply also in respect of all proceedings pending immediately before July 14, 1976.

Amendment of section 31 of Act no. V of 1920.

2. In section 31 of the Provincial Insolvency Act, 1920, hereinafter referred to as the principal Act,–

(*a*) in sub-section (2),–

(i) *for* the words "revoked or renewed", the words "revoked, modified or renewed" shall be *substituted*;

(ii) the following proviso shall be *inserted*, namely:–

"Provided that a protection order shall not apply to any debt referred to in sub-section (1) of section 44";

(*b*) in sub-section (3), in the proviso, *for* the words "revoked", the words "revoked or modified" shall be *substituted*.

Amendment of section 44.

3. In section 44 of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (*d*), the following clauses shall be *substituted*, namely:–

"(*d*) any liability under any agreement for maintenance or under any decree or order for maintenance passed under any law for the time being in force; or

(*e*) any debt or liability the amount due in respect of which is recoverable from him as arrears of land revenue under the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 or under any other law for the time being in force."

Repeal and savings.

Ordi- no. 1976.

4. (1) The Provincial Insolvency (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1976, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act was in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।